



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122022-241268
CG-DL-E-21122022-241268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944

No. 22]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

रक्षा मंत्रालय

(सैन्य मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2022

का. नि. आ. 24 (अ).—केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 के साथ पठित उपधारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि भारतीय नौसेना में भर्ती किए गये अग्निवीरों की एक विशेष रैंक होगी जो अन्य किसी विद्यमान रैंक से अलग होगी और यह भारतीय नौसेना में सबसे कनिष्ठतम रैंक होगी।

[फा. सं. आरपी/3312/अ/अग्निपथ]

एयर वाइस मार्शल हरदीप बेंस, संयुक्त सचिव (नौसेना)

MINISTRY OF DEFENCE
(Department of Military Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2022

S.R.O. 24(E).—In exercise of the powers conferred by section 184 read with sub-section 11 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby notifies, that Agniveers enrolled in the Indian Navy shall form a distinct rank different from any other existing rank and the junior most rank in the Indian Navy.

[F. No. RP/3312/A/AGNIPATH]

Air Vice Marshal HARDEEP BAINS, Jt. Secy. (Navy)